अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटॉड़(विद्यासागर)

संदिग्ध / अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–145 / 2023

तिथि	आदेश फलक	गंतव्य
1	2	3

--:आदेश:--

0६ 2023 अभिलेख उपस्थापित।

यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074 / रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461 / रा0, दिनांक–14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है।

उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या–01 ने अंचल निरीक्षक करमाटॉड़(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटॉड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–कुरूवा, थाना सं0–83, खाता सं0–60 / 9, दाग सं0–1145 रकवा–2.00 एकड़ भूमि जमाबंदीदार मो0 रफीक अंसारी पिता–दिन महम्मद असारी ग्राम–कुरूवा, पोस्ट–कुरूवा थाना– करमाटॉड़, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी–II में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म–पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबन्दी पंजी के जमाबन्दी न0 60 / 9 में वर्ष 1999–2000 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी–II के प्राधिकार कालम में जमाबन्दी कायम करने का कोई आधार दर्ज नही है तथा जमाबन्दीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबन्दी का कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध / अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

जांच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

वादी स्वयं उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में लगान रसीद स0–111104 एवं अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा का से0 मु0 सं0–182 / 1979–80 की छायाप्रति समर्पित किया है। वाद में समर्पित कागजातों की मूल एंव सत्यापित प्रति प्रदर्शित किया।

राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन, करमाटॉड़(विद्यासागर) ने संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा–कुरूवा न0–83 अन्तर्गत अनाबादी खाता सं0–60 / 9 दाग सं0–1145 रकबा–2.00 एकड़ किस्म पुरातन पतित भूमि का जाँच एवं मापी किया गया। आगे प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर जमाबंदीधारी मो0 रफीक असारी पिता–दिन महम्मद अंसारी साकिन कुरूवा के द्वारा मकान सह बाड़ी बनाकर दखल–कब्जा है।

बंदोबस्ती कागजात, तथा राजस्व उप निरीक्षक हल्का सं0–1 / अंचल निरीक्षक / अंचल अमीन करमाटॉड़(विद्यासागर) के जांच सह मापी प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी स0–60 / 9 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को भेजें।

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.18 13:22:16 +05:30
Location: 192.168.1.2

अंचल अधिकारी,
करमाटॉड़(विद्यासागर),
जामताड़ा।